

हिन्दी पत्राचार : राजभाषा के विभिन्न प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप संस्थान में हिन्दी पत्राचार एवं टिप्पण लेखन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष, 2009-10 के दौरान **क** एवं **ख** क्षेत्र में स्थित केन्द्र/राज्य सरकारों को 90 एवं 87 प्रतिशत हिन्दी में भेजे गए जबकि **ग** क्षेत्र स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों 72 % पत्र भेजे गए। इन क्षेत्रों में शत-प्रतिशत हिन्दी में पत्राचार हेतु संस्थान सचेष्ट है। राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी/हिन्दी में जारी किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान 90% से अधिक टिप्पणियाँ मूल रूप से हिन्दी में लिखी गईं।